निवास/राज्य में तैनात किया जा सकता है बशर्ते कि उन्हें पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय इस प्रकार से तैनात नहीं किया गया हो ।

10. एक ही प्रभार में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिकारियों का स्थानान्तरण सामान्यतया चार वर्षों में एक बार किया जाता है । बड़े-बड़े शहरों में उनका स्थानान्तरण एक सर्किल से दूसरे सर्किल (मात्र एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ही नहीं) में तीन वर्षों में एक बार किया जाना होता है । समूह "ख" के किसी अधिकारी को समूह "क" के पद पर उसकी पदोन्नति हो जाने पर उस संवर्ग नियंत्रण आयुक्तीय प्रभार, जिसमें कि वह तैनात हैं, से उसी जोन के भीतर किसी अन्य संवर्ग नियंत्रण आयुक्तीय प्रभार में स्थानान्तरित किया जा सकता है । लेकिन, प्रशासनिक कारणों से एक ही जोन के भीतर स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए ।

11. जहां तक संभव हो, स्थानान्तरण सामान्यतया अप्रैल/मई के महीने में किए जाते हैं । सिवाए प्रशासनिक अत्यावश्यकता के आधार पर अथवा परेशानियों को दूर करने के आधार पर, अधिकारियों की अदला-बदली वर्ष के मध्य में नहीं की जाती है ।

12. ऐसे अधिकारी, जो मार्ग-निर्देशों के अधीन स्थानान्तरण किए जाने के अन्यथा पात्र नहीं होते हैं, लेकिन जिनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण उनके अनुरोध पर किया गया हो, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पाने के हकदार तब तक नहीं हैं जब तक कि उन्होंने उस स्थान पर दो वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर ली हो, जिस स्थान से उनका स्थानान्तरण किया गया है ।

Report of Jafri Committee on Urdu

1321. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Jafri Committee on Urdu has submitted its report to Government recently;

(b) if so, the details of recommendations made therein;

(c) which of the recommendations have been accepted by Government and implemented so far; and

(d) by when all recommendations are likely to be implemented?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The Report of Committee to examine Implementation of Recommendations of Gujral Committee for Promotion of Urdu (Jafri Committe) has been laid on the Table of Rajya Sabha on 25.7.1991.

(c) Government is yet to take decision in the matter.

(d) Does not arise in view of (c) above.

Discounts sale by NTC

1322. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what are the occasions on which discounts are announced by NTC on its cloth in Delhi and other places;

(b) what is the extent of such discounts;

(c) whether it is a fact that no such discount is given on the occasion of festivals of muslims;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) if the reply to part (c) above be in the negative, the details of discounts being given on the occasion of muslim festivals?